202

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 32 / 2022

1. मु0 बाला उर्फ बिमला पुत्री कानिया उर्फ कन्हैयालाल पत्नि नौरंगलाल, जाति मेघवाल, निवासी दूदवा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज0) हाल निवासी मटाणा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. मु0 संतोष पुत्री कानिया उर्फ कन्हैयालाल पत्नि मनोहरलाल, जाति मेघवाल, निवासी दूदवा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज0) हाल निवासी मटाणा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. बिमला देवी पत्नि अन्तर सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम कुहाड, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)।
2. सुबेसिह पुत्र धर्मवीर सिह, जाति जाट, निवासी दूदी, तहसील सुरजगढ़ जिला झुझुनू (राज)।
3. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा पिलानी, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबंधक।

––रेस्पोडेन्ट्स

प्रथम अपील अ0धा0 75 राज भू राजस्व अधि0 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय तहसीलदार (भू–अभिलेख) सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज0) बाबत नामान्तरकरण सं0 1440 ग्राम दुदवा, तहसील सूरजगढ जमीन खसरा नं0 374 आदेश दिनांक 22.05.2022

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री अशोक लाम्बा, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 व 2 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 09.11.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार (भू–अभिलेख) सूरजगढ के आदेश दिनांक 22.05.2022 नामान्तरकरण संख्या 1440 ख0न0 374 वाके ग्राम दूदवा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 एवं प्रा0प0 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 एवं प्रा0प0 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्टस निम्न है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस बाबत नामान्तरकरण सं0 1440 ग्राम दूदवा खिलाफ कानून है। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नही है। अदालत मातहत ने राजस्थान रिकॉर्डस रूल्स 1957 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में [illegible] प्रावधान है उनको नजर अंदाज कर रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हक में उक्त नामान्तकरण स्वीकार किया है। विधि में यह व्यवस्था है कि सम्पूर्ण हिस्से का बेचान नही होने की सूरत में [illegible] आवश्यक है और कब्जे का मानचित्र नामान्तरकरण की पुश्त पर बनाया जाना भी आवश्यक है। विवादित आराजी पर आदेश जैर बहस पारित होने के रोज तथा पहले व [illegible] पंजीबद्ध होने के रोज [illegible] पहले व वर्तमान में रेस्पोडेन्ट का भौतिक कब्जा नही रहा है। कब्जे [illegible] बिन्दू की जांच किये [illegible] अदालत मातहत नें रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हक में करवाये गये बेचान के आधार पर नामान्तरकरण जैर बहस स्वीकार किया है। जमीन जैर बहस का बेचान गलत रिकॉर्ड के आधार पर बिना कब्जे के हुआ है। जमीन जैर बहस के सम्बन्ध में राजस्व अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ की अदालत में बेचान की कार्यवाही होने के पहले से अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 1 के मध्य राजस्व वाद लम्बित है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को रही है। उक्त राजस्व वाद की जानकारी अदालत मातहत को भी रही है। वास्तविक रूप से जमीन जैर बहस अनुसूचित जाति की खातेदारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:51:14 IST
Reason: SelfAttested

है और अदालत मातहत ने उक्त तमाम तथ्यों की जानकारी होते हुये भी रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हक में
नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जमीन जैर बहस अपीलान्टस के कब्जे काश्त व खातेदारी की है।
खातेदारी हकुकों एवं बेचान के पहले से कर रखा है। उक्त तथ्य की जानकारी पटवारी हल्का, भू
अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार (भू अभिलेख) सूरजगढ को रही है। जमीन जैर बहस के गत खसरा
नं0 213/2 रहे है जो पहले अपीलान्ट्स की माता की खातेदारी में रही है। इस प्रकार अपीलान्टस
आदेश जैर बहस से प्रभावित है और प्रभावित पक्षकार की हैसियत से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।
इजाजत हेतु दफा 96 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने गलत राजस्व रिकॉर्ड के
आधार पर जमीन जैर बहस का बेचान दिनांक 19.06.2020 को रेस्पोडेन्ट सं0 2 के सगे भाई बिजेन्द्र
सिह व मुंशीराम पुत्र दरियासिह, जाति जाट, निवासी लाडुन्दा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं के हक
में किया। उक्त बेचान बिना कब्जे व बिना प्रतिफल के हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के भाई बिजेन्द्र सिहं के
हक मे नामान्तरकरण संख्या 1251 दिनांक 25.06.2020 को स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध
अपीलान्ट्स द्वारा अदालत हाजा के यहा एक अपील उनवानी मु0 बाला वगै0 बनाम बिमला देवी वगै0
अपील संख्या 175/2020 प्रस्तुत की गई जो अपील अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 12.08.2021 के
द्वारा स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1251 ग्राम दूदवा दिनांक 25.06.2020 को निरस्त किया गया
और अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ को यह निर्देश दिये गये कि उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
की अदालत मे विचाराधीन वाद संख्या 178/2009 मे निर्णय के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करे।
अदालत हाजा द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना के क्रम मे नामान्तरकरण संख्या 1251 को अदालत
मातहत ने नामान्तरकरण संख्या 1357 दिनांक 10.09.2021 ग्राम दूदवा के द्वारा खारीज कर दिया।
अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 19.06.2020 को अवैध राजस्व रिकार्ड के आधार पर
मुंशीराम के हक मे हुए बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा दिनांक 08.04.2021
को स्वीकार किया और उक्त नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा को आदेश दिनांक 13.06.2021 के
द्वारा रिव्यू कर निरस्त कर दिया और अदालत मातहत ने उक्त रिव्यू आदेश मे यह फाईडिंग दी कि
जमीन जैर बहस अनुसूचित जाति की खातेदारी की है और उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ की अदालत
मे प्रकरण लम्बित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जानबूझकर बदनीयती से रस्पोडेन्ट संख्या 2 से षडयन्त्र
कर उपर वर्णित तमाम तथ्यों को छिपाकर गलत रिकार्ड के आधार पर 1/2 हिस्से की भूमि का बेचान
दिनांक 23.03.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक मे कर दिया और उक्त बेचान के आधार पर दिनांक
20.05.2022 को अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक मे नामान्तरकरण संख्या 1440 ग्राम
दूदवा स्वीकृत कर दिया। पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार सूरजगढ ने अपने
पदीय कर्तव्य का दुरूपयोग कर नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा आदेश दिनांक 10.06.2021 मे
दर्ज फाईडिंग को नजर अंदाज कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 1440 साजसी रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या
1 व 2 को फायदा पहुंचाने की नीयत से स्वीकार किया है। पटवारी हल्का दूदवा तथा भू–अभिलेख
निरीक्षक वृत्त पीपली व तहसीलदार सूरजगढ को उक्त तथ्य की बखूबी जानकारी रही है कि
नामान्तरकरण संख्या 1440 ग्राम दूदवा मे उल्लेखित भूमि खसरा नम्बर 374 अनुसूचित जाति के
व्यक्तियों की खातेदारी की भूमि रही है और उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से दर्ज
खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जमीन का बेचान दिनांक 19.06.2020 को रेस्पोडेन्ट सं0 2 के भाई
बिजेन्द्र सिंह व मुशीराम नामक व्यक्ति को कर दिया है। जिनके हक मे कमशः नामान्तरकरण संख्या
1251 ग्राम दूदवा दिनांक 25.06.2020 व नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा दिनांक 08.04.2021 को
स्वीकृत हो चुके है और उक्त दोनो नामान्तरकरण क्रमशः आदेश दिनांक 10.09.2021 व दिनांक
10.06.2021 के निरस्त किये जा चुके है। इसके बावजूद [illegible] बेचान के आधार पर राजस्व
वाद लम्बित रहने के दौरान अदालत मातहत ने नामान्तरकरण [illegible] बहस स्वीकार किया है। राजस्व वाद
की अदालत मातहत को जानकारी रही [illegible] विधि मे यह [illegible] राजस्व वाद लम्बित रहने के
दौरान नामान्तरकरण की कार्यवाही कि[illegible] नही करनी चाहिए। विधि मे यह भी
व्यवस्था है कि गलत राजस्व रिकार्ड के आधार [illegible] बेचान के आधार पर केता के हक मे
नामान्तरकरण स्वीकार नही करना चाहिए। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपने पद का दुरूप्योग कर
जान बूझकर अवैधानिक कृत्य किया है। उपरोक्त अवैध राजस्व रिकार्ड व लम्बित दावा तथा पूर्व मे हुए
बेचान एवं स्वीकृत हुए नामान्तरकरण तथा निरस्त हुए नामान्तरकरण आदेशों की जानकारी रेस्पोडेन्ट
संख्या 1 व 2 को रही है। और इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना हक अधिकार के
रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक मे बेचाननामा निष्पादित व पंजीबृद्ध करवाया है और बाला–बाला रूप से
रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने हक मे नामान्तरकरण जैर बहस स्वीकार करवाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 15:51:14 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 3 को नुकसान कारित करने के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से ऋण प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम रहन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1443 दिनांक 25.05.2022 को स्वीकार करवाा है जो कि एक अपराध है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया है। अपीलान्ट्स का वाद विषय वस्तु से संबंध है। इस तथ्य की जानकारी अदालत मातहत को आदेश जैर बहस पारित होने के रोज रही है। अपीलान्ट्स के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही हुई है। अदालत मातहत ने नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा रिव्यू आदेश दिनांक 10.06.2021 मे दी गई फाइडिंग को नजर अंदाज कर उसके विपरीत निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अदालत मातहत ने विधि की अवहेला कर अपने पद का दुरूपयोग किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2022 बाबत नामान्तरकरण सं0 1440 ग्राम दूदवा, तहसील सूरजगढ जमीन खसरा नं0 374 को अपास्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस बाबत नामान्तरकरण सं0 1440 ग्राम दूदवा खिलाफ कानून है। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नही है। अदालत मातहत ने राजस्थान रिकॉर्डस रूल्स 1957 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में नामान्तकरण से सम्बन्धित जो प्रावधान है उनको नजर अंदाज कर रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हक में उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किया है। विधि में यह व्यवस्था है कि सम्पूर्ण हिस्से का बेचान नही होने की सूरत में भौतिक कब्जे की जांच किया जाना आवश्यक है और कब्जे का मानचित्र नामान्तरकरण की पुश्त पर बनाया जाना भी आवश्यक है। विवादित आराजी पर आदेश जैर बहस पारित होने के रोज तथा पहले व विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीबद्ध होने के रोज तथा पहले व वर्तमान में रेस्पोडेन्ट का भौतिक कब्जा नही रहा है। कब्जे के बिन्दू की जांच किये बिना ही अदालत मातहत नें रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हक में करवाये गये बेचान के आधार पर नामान्तरकरण जैर बहस स्वीकार किया है। जमीन जैर बहस का बेचान गलत रिकॉर्ड के आधार पर बिना कब्जे के हुआ है। जमीन जैर बहस के सम्बन्ध में राजस्व अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ की अदालत में बेचान की कार्यवाही होने के पहले से अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 1 के मध्य राजस्व वाद लम्बित है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को रही है। उक्त राजस्व वाद की जानकारी अदालत मातहत को भी रही है। वास्तविक रूप से जमीन जैर बहस अनुसूचित जाति की खातेदारी की है और अदालत मातहत ने उक्त तमाम तथ्यों की जानकारी होते हुये भी रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जमीन जैर बहस अपीलान्टस के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। खातेदारी हकुकों एवं बेचान के पहले से कर रखा है। उक्त तथ्य की जानकारी पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार (भू अभिलेख) सूरजगढ को रही है। जमीन जैर बहस के गत खसरा नं0 213/2 रहे है जो पहले अपीलान्ट्स की माता की खातेदारी में रही है। इस प्रकार अपीलान्टस आदेश जैर बहस से प्रभावित है और प्रभावित पक्षकार की हैसियत से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। इजाजत हेतु दफा 96 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जमीन जैर बहस का बेचान दिनांक 19.06.2020 को रेस्पोडेन्ट सं0 2 के सगे भाई बिजेन्द्र सिह व मुंशीराम पुत्र दरियासिह, जाति जाट, निवासी लाडुन्दा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं के हक में किया। उक्त बेचान बिना कब्जे व बिना प्रतिफल के हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के भाई बिजेन्द्र सिहं के [illegible] 1251 दिनांक 25.06.2020 को स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलान्ट्स [illegible] लत हाजा के यहा एक अपील उनवानी मु0 बाला वगै0 बनाम बिमला देवी [illegible] की गई जो अपील अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 12.08.2021 के द्वारा स्वीक[illegible]कर नामान्तरकरण संख्या 1251 ग्राम दूदवा दिनांक 25.06.2020 को निरस्त कि[illegible] तहसीलदार सूरजगढ को यह निर्देश दिये गये कि उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ की अदालत [illegible] विचाराधीन वाद संख्या 178/2009 मे निर्णय के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करे। अदालत हाजा द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना के क्रम मे नामान्तरकरण संख्या 1251 को अदालत मातहत ने नामान्तरकरण संख्या 1357 दिनांक 10.09.2021 ग्राम दूदवा के द्वारा खारीज कर दिया। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 19.06.2020 को अवैध राजस्व रिकार्ड के आधार पर मुंशीराम के हक मे हुए बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा दिनांक 08.04.2021 को स्वीकार किया और उक्त नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा को आदेश दिनांक 13.06.2021 के द्वारा रिव्यू कर निरस्त कर दिया और

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 15:51:14 IST
Reason: SelfAttested

अदालत मातहत ने उक्त रिव्यू आदेश मे यह फाईडिंग दी कि जमीन जैर बहस अनुसूचित जाति की खातेदारी की है और उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ की अदालत मे प्रकरण लम्बित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जानबूझकर बदनीयती से रस्पेोडेन्ट संख्या 2 से षडयन्त्र कर उपर वर्णित तमाम तथ्यों को छिपाकर गलत रिकार्ड के आधार पर 1/2 हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 23.03.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक मे कर दिया और उक्त बेचान के आधार पर दिनांक 20.05.2022 को अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक मे नामान्तरकरण संख्या 1440 ग्राम दूदवा स्वीकृत कर दिया। पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार सूरजगढ ने अपने पदीय कर्तव्य का दुरूपयोग कर नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा आदेश दिनांक 10.06.2021 मे दर्ज फाईडिंग को नजर अंदाज कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 1440 साजसी रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को फायदा पहुंचाने की नीयत से स्वीकार किया है। पटवारी हल्का दूदवा तथा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त पीपली व तहसीलदार सूरजगढ को उक्त तथ्य की बखूबी जानकारी रही है कि नामान्तरकरण संख्या 1440 ग्राम दूदवा मे उल्लेखित भूमि खसरा नम्बर 374 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की भूमि रही है और उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से दर्ज खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जमीन का बेचान दिनांक 19.06.2020 को रेस्पोडेन्ट सं0 2 के भाई बिजेन्द्र सिंह व मुशीराम नामक व्यक्ति को कर दिया है। जिनके हक मे क्रमशः नामान्तरकरण संख्या 1251 ग्राम दूदवा दिनांक 25.06.2020 व नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा दिनांक 08.04.2021 को स्वीकृत हो चुके है और उक्त दोनो नामान्तरकरण क्रमशः आदेश दिनांक 10.09.2021 व दिनांक 10.06.2021 के निरस्त किये जा चुके है। इसके बावजूद भी अवैध व शून्य बेचान के आधार पर राजस्व वाद लम्बित रहने के दौरान अदालत मातहत ने नामान्तरकरण जैर बहस स्वीकार किया है। राजस्व वाद की अदालत मातहत को जानकारी रही है। विधि मे यह व्यवस्था है कि राजस्व वाद लम्बित रहने के दौरान नामान्तरकरण की कार्यवाही किसी अन्य व्यक्ति के हक मे नही करनी चाहिए। विधि मे यह भी व्यवस्था है कि गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर हुए बेचान के आधार पर केता के हक मे नामान्तरकरण स्वीकार नही करना चाहिए। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपने पद का दुरूप्योग कर जान बूझकर अवैधानिक कृत्य किया है। उपरोक्त अवैध राजस्व रिकार्ड व लम्बित दावा तथा पूर्व मे हुए बेचान एवं स्वीकृत हुए नामान्तरकरण तथा निरस्त हुए नामान्तरकरण आदेशों की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को रही है। और इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना हक अधिकार के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक मे बेचाननामा निष्पादित व पंजीबृद्व करवाया है और बाला–बाला रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने हक मे नामान्तरकरण जैर बहस स्वीकार करवाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को नुकसान कारित करने के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से ऋण प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम रहन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1443 दिनांक 25.05.2022 को स्वीकार करवाा है जो कि एक अपराध है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया है। अपीलान्ट्स का वाद विषय वस्तु से संबंध है। इस तथ्य की जानकारी अदालत मातहत को आदेश जैर बहस पारित होने के रोज रही है। अपीलान्ट्स के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही हुई है। अदालत मातहत ने नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा रिव्यू आदेश दिनांक 10.06.2021 मे दी गई फाइडिंग को नजर अंदाज कर उसके विपरीत निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अदालत मातहत ने विधि की अवहेला कर अपने पद का दुरूपयोग किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2022 बाबत नामान्तरकरण सं0 1440 ग्राम दूदवा, तहसील सूरजगढ जमीन खसरा नं0 374 को अपास्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 15:51:14 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट सं0 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 3 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 व 2 ने अपील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 बिमला देवी ने मुन्शीराम के पक्ष मे विवादित भूमि के कम मे किये गये बेचान पत्र का नामान्तरकरण निरस्त होने पर इसके बाद सूबेसिंह को बेचान किया है। सूबेसिंह के पक्ष मे भरा गया नामान्तरकरण सही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के यहां विचाराधीन दावे मे जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार आगे नामान्तरकरण स्वीकृत या खारीज हो जावेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि ग्राम दूदवा के खसरा नम्बर 374 के संबंध मे खातेदारों के हक व अधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ मे विचाराधीन दावे मे तय होगें। इसकी पुष्टि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, पीठ जयपुर द्वारा प्रकरण सं0 निगरानी/एलआर/60/01/जयपुर उनवानी सीताराम व अन्य बनाम भैरू व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 23.02.2006 से भी होती है। ऐसी स्थिति मे हम अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण सं0 1440 दिनांक 22.05.2022 वाके ग्राम दूदवा जमीन खसरा नं0 374 के कम मे भरे गये नामान्तरकरण को उचित नही मानते है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 22.05.2022 निरस्त किया जाता है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुझुनू

जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 15:51:14 IST
Reason: SelfAttested